कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2034/11–सी–FP/UP/Road/59458/2020, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 06 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0–0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/549, दिनांक 26.11.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–3040/मी0क्षे0/33, दिनांक 05.01.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2034 /11–सी–FP/UP/Road/59458/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-23